मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई - 400025
ईमेल: hlquery@motilaloswal.com
www.motilaloswalhf.com
CIN: U65923MH2013PLC248741

जारी करने की तिथि -

वैधता तिथि -

केएफएस संख्या -

मुख्य तथ्य कथन

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**लोन प्रस्ताव/खाता नंबर**		**ऋण का प्रकार**	
2	**सैंक्शन लोन राशि (रुपये में)**			
3	**वितरण अनुसूची** (i) चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान (ii) अगर यह चरणवार है, तो लोन अनुबंध के लागू विवरण वाले खंड का उल्लेख करें.			
4	**ऋण अवधि (महीने)**			
5	**किस्त का विवरण**			
किश्तों का प्रकार		ईपीआई/ईएमआई की संख्या	ईपीआई/ईएमआई(Rs.)	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत
EMI				उधारकर्ता को पीईएमआई/ईएमआई का भुगतान 7 तारीख (पीईएमआई/ईएमआई की देय तिथि) या अनुसूची में निर्धारित तिथि से पहले करना होगा। पीईएमआई/ईएमआई की देय तिथि का समय मासिक है। अगर वितरण की तिथि महीने की 01 - 06 तारीख के बीच है, तो बीच के दिनों के लिए प्री-ईएमआई ब्याज और पहली ईएमआई, अगले महीने की 7 तारीख या अनुसूची में निर्धारित तिथि को देय होगी।

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड/सेमी फिक्स्ड)**	
7	**फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**	

रेफरेंस बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (S)	अंतिम दर (%) R = (B) + (S)	आवधिकता का पुनर्निर्धारण (मासिक)		रेफरेंस बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('R' में 25 बीपीएस में बदलाव के लिए, हुआ परिवर्तन)		
				B	S	प्रभाव	ईपीआई/ईएमआई (Rs.)	ईपीआई/ईएमआई की संख्या
				3	लागू नहीं	वृद्धि		
						कमी		

8	**शुल्क/प्रभार**				
		संशोधित अनुमान (क) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
		एकमुश्त/ आवर्ती	राशि (Rs में) या प्रतिशत (%), जो लागू हो	एकमुश्त/ आवर्ती	राशि (Rs में) या प्रतिशत (%), जो लागू हो
(i)	प्रोसेसिंग प्रभार	एक बार			
(ii)	बीमा शुल्क			एक बार	
(iii)	मूल्यांकन शुल्क	एक बार			
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)				
a	व्यवस्थापक शुल्क	एक बार			
b	सीईआरएसएआई	एक बार			
c	दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क (मूल)	एक बार			

9	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)**	
10	**आकस्मिक शुल्कों का विवरण (Rs. या % में, जैसा लागू हो)**	
(i)	प्रति लेन-देन चेक/ईसीएस/एनएसीएच चूक शुल्क, चेक स्वैपिंग शुल्क	रु. 750/- (रुपये सात सौ पचास मात्र)
(ii)	दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क (फोटोकॉपी)	रु. 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र)
(iii)	**देय तिथि के बाद विलंब भुगतान शुल्क, एमओएचएफएल के एकमात्र विवेक पर समय-समय पर परिवर्तन के अधीन**	**किस्त की देय तिथि के बाद बकाया दिनों की संख्या के लिए कुल बकाया पीईएमआई/ईएमआई पर 2.5% प्रति माह की दर से गणना की जाती है, अर्थात वार्षिक 30%**
(iv)	नियम और शर्तों का पालन न करना	होम लोन/नॉन-होम लोन कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने पर नीचे दिए गए प्रभार लागू होंगे, जो एमओएचएफएल के विवेकाधिकार के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है: a. ईएमआई/पीईएमआई में लगातार तीन बार चूक। b. प्रथम संवितरण की तिथि से सहमत समय के भीतर उधारकर्ता(ओं) द्वारा स्वीकार किए गए स्वीकृति पत्र/संवितरण अनुरोध पत्र में उल्लिखित किसी भी शर्त/दस्तावेज का गैर-अनुपालन/प्रस्तुतीकरण न करना। c. पहले संवितरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर सुरक्षा के टाइटल के संबंध में किसी भी पोस्ट डिस्बर्सल दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना। d. जहां लोन आंशिक रूप से वितरित किया जाता है, वहां इसके अंतिम संवितरण की तारीख से 12 महीनों के भीतर राशि का उपयोग नहीं करना। • एमओएचएफएल रु. 10,000/- (केवल दस हजार रुपए) का मासिक दंड प्रभार तब तक लगा सकता है जब तक कि नियम और शर्तों का पूर्ण रूप से या एमओएचएफएल की संतुष्टि के अनुसार पालन नहीं किया जाता है। यह शुल्क लगाना केवल एमओएचएफएल के विवेक पर निर्भर है। • उधारकर्ता एमओएचएफएल या उसके प्रतिनिधियों द्वारा मांग किए जाने पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
(v)	एसओए, एफसीएल, एलओडी या डुप्लिकेट एनओसी के लिए शुल्क	रु. 2000/- (रुपये दो हजार मात्र), उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज के लिए।

(vi)	दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क (मूल)	रु. 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) बंद होने के समय एक बार का शुल्क लिया जाएगा
(vii)	सीईआरएसएआई शुल्क	सीईआरएसएआई निर्माण: रु. 5.00 लाख तक की लोन राशि: रु. 50/- (रु. 50 केवल) और रु. 5.00 लाख से अधिक की लोन राशि: रु. 100/- (रुपये एक सौ मात्र) सीईआरएसएआई संशोधन: ऊपर बताए गए सीईआरएसएआई की संतुष्टि के अनुसार: शून्य वितरण के समय एक बार का शुल्क लिया जाएगा
(viii)	स्वीकृत पुनर्वैधीकरण शुल्क (स्वीकृत वैधता समाप्ति तिथि के बाद)	रु. 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र)
(ix)	कानूनी जांच रिपोर्ट और तकनीकी रिपोर्ट / विजिट शुल्क	1. पहली कानूनी जांच रिपोर्ट - नि: शुल्क 2. दूसरी/अधिक बार कानूनी जांच रिपोर्ट - प्रत्येक रिपोर्ट के लिए 2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये)। 3. पहली तकनीकी रिपोर्ट/विजिट-फ्री. 4. द्वितीय/अधिक बार तकनीकी रिपोर्ट/विजिट - प्रत्येक रिपोर्ट/यात्रा के लिए रु. 2000/- (रु. दो हजार मात्र)। 5. आंशिक रूप से संवितरित मामलों के लिए बाद में तकनीकी विजिट/रिपोर्ट - रु. 750/- (रुपये सात सौ पचास मात्र)।
(x)	संग्रह के लिए विजिट शुल्क	व्यक्तिगत विजिट के लिए शुल्क - बकाया खाते के मामले में संग्रह (एक महीने में), पहली विजिट: 250/- रुपये (केवल दो सौ पचास रुपये) उसी महीने में प्रत्येक बाद की विजिट पर पिछले विजिट शुल्क के अलावा 250/- रुपये (केवल दो सौ पचास रुपये) का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी दूसरी विजिट के लिए 500/- रुपये और तीसरी विजिट के लिए 750/- रुपये और इसी तरह। .
(xi)	संवितरण चेक रद्दीकरण और दोबारा जारी करना	रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र)
(xii)	शुल्क वापसी मानदंड	किसी निर्धारित कारणों से स्वीकृति या वितरण के बाद एमओएचएफएल द्वारा लोन अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में या आवेदक द्वारा स्वयं अपना आवेदन वापस लेने की स्थिति में, एकत्रित ईएमआई/पीईएमआई राशि प्रोसेसिंग/प्रशासनिक सेवा शुल्क (अगर कोई लंबित हो) की कटौती के बाद वापस कर दी जाएगी।

(xiii)	पूर्व भुगतान/पूर्व-समापन शुल्क और मानदंड	(see table below)

<table>
<tr><th rowspan="2">ऋण का प्रकार</th><th rowspan="2">ब्याज दर का प्रकार</th><th rowspan="2">पक्ष / उपयोग</th><th colspan="2">ऋण समापन शुल्क / आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क</th></tr>
<tr><th>स्वयं के स्रोत से ऋण समापन (फोरक्लोज़र)</th><th>स्वयं के स्रोत के अलावा ऋण समापन #</th></tr>
<tr><td rowspan="2">आवास ऋण</td><td>निश्चित दर</td><td>व्यक्तिगत / गैर-व्यक्तिगत</td><td>शून्य</td><td>बकाया मूलधन पर 5% + लागू GST*</td></tr>
<tr><td>परिवर्तनीय दर</td><td>व्यक्तिगत / गैर-व्यक्तिगत</td><td colspan="2">शून्य</td></tr>
<tr><td rowspan="6">गैर-आवास ऋण</td><td>निश्चित दर</td><td>व्यक्तिगत / गैर-व्यक्तिगत</td><td colspan="2">बकाया मूलधन पर 5% + लागू GST*</td></tr>
<tr><td>परिवर्तनीय दर</td><td>व्यक्तिगत उधारकर्ता (व्यवसाय के अलावा उपयोग हेतु)</td><td colspan="2">शून्य</td></tr>
<tr><td>परिवर्तनीय दर</td><td>व्यक्तिगत / गैर-व्यक्तिगत और MSE (व्यावसायिक उपयोग हेतु)</td><td colspan="2">शून्य (Rs.50 लाख तक की स्वीकृत ऋण सीमा वाले ऋणों पर)</td></tr>
<tr><td>परिवर्तनीय दर</td><td>व्यक्तिगत / गैर-व्यक्तिगत और MSE (व्यावसायिक उपयोग हेतु)</td><td colspan="2">बकाया मूलधन पर 5% + लागू GST* (Rs.50 लाख से अधिक की स्वीकृत ऋण सीमा वाले ऋणों पर)</td></tr>
<tr><td>निश्चित दर</td><td>गैर-व्यक्तिगत और Non-MSE</td><td colspan="2">बकाया मूलधन पर 5% + लागू GST*</td></tr>
<tr><td>परिवर्तनीय दर</td><td>गैर-व्यक्तिगत और Non-MSE</td><td colspan="2">बकाया मूलधन पर 5% + लागू GST*</td></tr>
<tr><td colspan="5">*GST लागू होने पर लिया जाएगा</td></tr>
<tr><td colspan="5">#स्वयं के स्रोत के अलावा का अर्थ है किसी भी बैंक / HFC / NBFC / वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण के माध्यम से की गई पूर्वभुगतान / ऋण समापन</td></tr>
<tr><td colspan="5">सेमी-फिक्स्ड ऋण (प्रारंभिक अवधि के लिए निश्चित तथा उसके बाद परिवर्तनीय) के मामले में, ऋण समापन / आंशिक भुगतान से संबंधित नियम, पूर्व-समापन की तिथि पर ऋण की स्थिति (निश्चित / परिवर्तनीय) के अनुसार लागू होंगे।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>(xiv)</td><td>आरओआई कन्वर्जन शुल्क</td><td>• निम्नलिखित स्विचिंग प्रभारों का भुगतान करने के बाद उधारकर्ता को वित्तीय वर्ष में एक बार परिवर्तनीय/फ्लोटिंग दर से स्थिर दर या निश्चित ब्याज दर से परिवर्तनीय/फ्लोटिंग दर में बदलने की अनुमति होगी
• उधारकर्ता के पास बदलाव के दिन बकाया मूलधन के 3% तक के स्विचिंग शुल्क और लागू वैधानिक करों का भुगतान करके लागू ब्याज दर से नई ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प होगा। उपर्युक्त एमओएचएफएल के विवेकाधिकार पर है।
• आरओआई प्रकार का परिवर्तन एमओएचएफएल के एकमात्र विवेक पर और समय-समय पर लागू मूल्य निर्धारण पॉलिसी/फ्लोटिंग/निर्धारित आरओआई की दर ग्रिड के अनुसार होगा।</td></tr>
<tr><td>(xv)</td><td>पुनर्भुगतान में देरी के मामले में कानूनी प्रभार</td><td>ईएमआई या पीईएमआई के भुगतान में देरी की स्थिति में, उधारकर्ता कानूनी शुल्क, न्यायालय शुल्क आदि जैसे कानूनी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो ऐसे विलंबित भुगतान के लिए एमओएचएफएल द्वारा वहन किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>(xvi)</td><td>प्रतिबद्धता प्रभार</td><td>MOHFL स्वीकृत ऋण शर्तों के अनुसार वितरण राशि आवंटित करता है, जिससे उधारकर्ता पूर्व-वितरण शर्तों को पूरा करने के बाद वितरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर बिना किसी शुल्क के धनराशि का उपयोग कर सकता है। यदि वितरण की तिथि से 30 दिनों के भीतर धनराशि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो MOHFL नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रतिबद्धता शुल्क लगा सकता है।
<table><tr><th>चेक एकत्र नहीं किया गया (दिनों तक)</th><th>0 से 30 दिन</th><th>31वां दिन</th><th>61वां दिन</th></tr><tr><td>लागू शुल्क + GST</td><td>₹ 0.00</td><td>₹ 5,000</td><td>₹ 2,500</td></tr></table></td></tr>
</table>

ऊपर दर्शाए गए सभी शुल्क लागू वैधानिक करों को छोड़कर हैं। लागू कर शुल्क के अतिरिक्त वसूले जाएंगे। ऑल-इन-कॉस्ट उधारकर्ता के लिए ऋण की कुल लागत को दर्शाता है, जिसमें ब्याज दर तथा सभी लागू शुल्क/प्रभार शामिल हैं, और यह लागू नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है। ये शुल्क, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और MOHFL के बीच निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार परिवर्तनशील हो सकते हैं। MOHFL अपने उधारकर्ताओं को किसी भी बदलाव की जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट, अपने कार्यालयों में प्रदर्शन, तथा समय-समय पर सामान्य घोषणाओं के माध्यम से देने का प्रयास करेगा। यदि ऐसा कोई परिवर्तन ग्राहक के प्रतिकूल होता है, तो वह 60 दिनों के भीतर बिना किसी पूर्व सूचना के अपना खाता बंद कर सकता/सकती है या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या ब्याज के इसे स्थानांतरित (स्विच) कर सकता/सकती है।

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

<table>
<tr><td>1</td><td>रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित लोन अनुबंध का खंड</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>2</td><td>लोन अनुबंध का खंड, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है.</td><td rowspan="2">किसी भी शिकायत की स्थिति में, उधारकर्ता शाखाओं में उपलब्ध "Query Management Module" में प्रविष्टि करने हेतु MOHFL शाखा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

यदि शिकायत/विवाद शाखा स्तर पर अनसुलझा रहता है, तो उधारकर्ता निम्नलिखित माध्यमों से सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं; MOHFL कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन 8291889898 पर कॉल करके; सोमवार से शुक्रवार – प्रातः 09:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक एवं शनिवार – प्रातः 09:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक (प्रत्येक माह का प्रथम शनिवार अवकाश रहेगा); या हमें Email करें: hfquery@motilaloswal.com; या नीचे दिए गए पते पर लिखित रूप में भेजें: मोतिलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (कस्टमर सर्विस सेल) मोतिलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एस.टी. डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई – 400025.

यदि शिकायत/विवाद एक माह के भीतर हल नहीं होता है या MOHFL द्वारा प्रदान किए गए समाधान से उधारकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो वे Grievance Redressal Officer से संपर्क कर सकते हैं। Grievance Redressal Officer का नाम एवं संपर्क विवरण निम्नानुसार है: Aalia Shaikh (Contact: +91-22-50362730) Email Id: hfgro@motilaloswal.com; “या”

यदि शिकायत/विवाद अब भी अनसुलझा है, तो उधारकर्ता अपनी शिकायत National Consumer Helpline पर https://consumerhelpline.gov.in/ “या” दर्ज कर सकते हैं; यदि शिकायत/विवाद एक माह की अवधि के भीतर निवारित नहीं होता है या प्राप्त उत्तर से उधारकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो उधारकर्ता National Housing Bank के GRIDS Portal पर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपील कर सकते हैं:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx “या” डाक द्वारा निम्न पते पर भेज सकते हैं;
सेवा में, उप महाप्रबंधक, नेशनल हाउसिंग बैंक, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, पर्यवेक्षण विभाग, नेशनल हाउसिंग बैंक, चौथी मंजिल, कोर-5A, इंडिया हैबिटैट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली. 110 003.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी</td></tr>
<tr><td>4</td><td>क्या लोन को वर्तमान में या भविष्य में अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या प्रतिभूतिकरण के अधीन हो सकता है (हां/नहीं)</td><td>हाँ</td></tr>
</table>

5	सहयोगी (कोलेबोरेटिव) लोन व्यवस्था (जैसे, सह-लोन/आउटसोर्सिंग) के तहत लोन देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
मूल आरई का नाम और उसके वित्तपोषण का अनुपात	भागीदार आरई का नाम और उसके वित्तपोषण का अनुपात	ब्याज की मिश्रित दर
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड - 100%	लागू नहीं	लागू नहीं

6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
(i) आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से लोन के पूर्व-भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	लागू नहीं
(ii)रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	लागू नहीं

7	बीमा	आपका रुपये का लोन महीने की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। आपके द्वारा चुनी गई बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों का विवरण नीचे दिया गया है: 1. श्रीमान/श्रीमती के लिए {@LFCustomerName}/- रुपये की बीमा राशि के साथ महीने के लिए जीवन बीमा । 2. स्थित संपत्ति के लिए रुपये की बीमा राशि के साथ महीने के लिए बीमा। 3. रुपये की बीमा राशि के साथ स्वास्थ्य बीमा । बीमा पॉलिसी जारी करना बीमाकर्ता के पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर है। बीमाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी जारी किए जाने के बाद, बीमा कवरेज प्रभावी हो जाएगा, जो वितरण भुगतान की मंजूरी के अधीन है। बीमित राशि और संबंधित बीमा लाभ केवल उधारकर्ता द्वारा चुनी गई अवधि के लिए लागू होते हैं, जैसा कि बीमा पॉलिसी में दिए गए कटौती अनुसूची में दर्ज है। स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके उधारकर्ता यह समझता है और सहमत होता है कि अगर बीमा कवरेज राशि/अवधि, लोन राशि/अवधि से कम है, तो बीमा के लिए दावे की स्थिति में, बकाया लोन और दावा राशि भिन्न हो सकती है। बीमा के लिए दावा, केवल बीमा पॉलिसी में निर्धारित बीमा कवरेज राशि या अवधि तक ही किया जा सकता है।

8	एसएमए और एनपीए वर्गीकरण	ईएमआई के भुगतान में देरी के मामले में, लोनदाता कैलेंडर तिथि की नियत तारीख के अंत में उधारकर्ता खाते को स्पेशल मेंशन अकाउंट ('एसएमए')/नॉन-परफॉर्मिंग एसेट ('एनपीए') के रूप में वर्गीकृत करेगा। उदाहरण: अगर किसी लोन खाते की ईएमआई की नियत तिथि 31 मार्च, 2023 है, और लोनदाता को इस तिथि को दिन के अंत की प्रक्रिया पूरी होने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो बकाया की तिथि 31 मार्च, 2023 होगी। अगर यह बकाया बना रहता है, तो यह खाता 30 अप्रैल, 2023 को दिन के अंत की प्रक्रिया पर एसएमए-1 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा, अर्थात लगातार बकाया होने के 30 दिन पूरे होने पर। इसके अनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2023 होगी। इसी प्रकार, अगर खाता लगातार बकाया बना रहता है, तो 30 मई, 2023 को दिन की प्रक्रिया की समाप्ति पर इसे एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा और अगर आगे भी बकाया बना रहता है, तो 29 जून, 2023 को दिन की प्रक्रिया की समाप्ति पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
9	अन्य मानदंड	प्लॉट खरीद या प्लॉट + निर्माण के लिए फंडिंग के मामले में, यदि उधारकर्ता मंजूरी पत्र/लोन समझौते या नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्लॉट पर घर का निर्माण पूरा नहीं करता है, तो लोन को गैर-होम लोन में परिवर्तित कर दिया जाएगा और समय-समय पर लागू गैर-होम लोन ब्याज दर लगाया जाएगा, यानी कंपनी की लागू ब्याज दर पॉलिसी/मानदंडों के आधार पर फ्लोटिंग/सेमी-फिक्स्ड/फिक्स्ड लगाया जाएगा।
10	पसंदीदा भुगतान मोड	आंशिक भुगतान के मामले में, एमओ परिवार ऐप का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करने की सलाह दी जाती है
11	ब्याज दर	यदि प्रस्तावित ब्याज पहले संवितरण की तारीख से विशेष अवधि/वर्षों के लिए अर्ध-निश्चित है और यह संवितरण प्राप्त करते समय आरपीएलआर से जुड़ा हुआ है, तो उल्लिखित अवधि के पूरा होने के बाद आरओआई को ब्याज की परिवर्तनीय दर में परिवर्तित कर दिया जाएगा और उस समय लागू आरपीएलआर से जोड़ा जाएगा। हालांकि, प्रारंभिक संवितरण में ऑफर किया गया स्प्रेड लोन की अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। परिवर्तनीय/अनिश्चित ब्याज दर वाले लोनों में आरपीएलआर में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप लागू ब्याज दर में समतुल्य परिवर्तन होगा। प्रभावी ब्याज दर में परिवर्तन लोन की शेष अवधि या ईएमआई राशि या उसके किसी भी संयोजन को प्रभावित करता है।
12	ब्याज दर के रीसेट की तिथि	ब्याज दर रीसेट संशोधन चक्र प्रत्येक वर्ष में अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष की तिमाही अर्थात जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले दिन से शुरू होती है।
13	ब्याज दर के रीसेट पर उधारकर्ता के पास उपलब्ध विकल्प	a. ईएमआई में वृद्धि b. अवधि में वृद्धि c. ईएमआई और अवधि में वृद्धि d. लोन की अवधि के दौरान किसी भी समय पूर्ण रूप से लोन का पूर्व भुगतान करना e. लोन की अवधि के दौरान किसी भी समय आंशिक रूप से लोन का पूर्व भुगतान करना f. परिवर्तनीय/फ्लोटिंग दर से निश्चित दर पर स्विच करना या इसके विपरीत स्विच करना

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई - 400025
ईमेल: [illegible]
[illegible]
CIN: U65923MH2013PLC248741

अनुलग्नक A

एपीआर की गणना

क्र.सं.	मापदंड	विवरण
1	सैंक्शन लोन राशि (रुपये में)	
2	लोन अवधि (महीनों में)	
a)	गैर-समतुल्य आवधिक लोनों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	-
b)	ईपीआई/ईएमआई का प्रकार प्रत्येक ईपीआई/ईएमआई की राशि (रुपये में) और ईपीआई/ईएमआई की संख्या (जैसे, मासिक किस्तों के मामले में ईएमआई की संख्या)	
c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, अगर कोई हो	-
d)	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	उधारकर्ता को पीईएमआई/ईएमआई का भुगतान 7 तारीख (पीईएमआई/ईएमआई की देय तिथि) या अनुसूची में निर्धारित तिथि से पहले करना होगा। पीईएमआई/ईएमआई की देय तिथि का समय मासिक है। अगर वितरण की तिथि महीने की 01 - 06 तारीख के बीच है, तो बीच के दिनों के लिए प्री-ईएमआई ब्याज और पहली ईएमआई, अगले महीने की 7 तारीख या अनुसूची में निर्धारित तिथि को देय होगी
3	ब्याज दर का प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड/सेमी-फिक्स्ड)	
4	ब्याज दर	
5	सैंक्शन तिथि पर लागू दर के अनुसार लोन की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	

6	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)	
a)	संशोधित अनुमान को देय	
b)	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
7	निवल वितरित राशि (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	
10	नियमों और शर्तों के अनुसार, वितरण की अनुसूची	अनुलग्नक D देखें
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	उधारकर्ता को पीईएमआई/ईएमआई का भुगतान 7 तारीख (पीईएमआई/ईएमआई की देय तिथि) या अनुसूची में निर्धारित तिथि से पहले करना होगा। पीईएमआई/ईएमआई की देय तिथि का समय मासिक है। अगर वितरण की तिथि महीने की 01 - 06 तारीख के बीच है, तो बीच के दिनों के लिए प्री-ईएमआई ब्याज और पहली ईएमआई, अगले महीने की 7 तारीख या अनुसूची में निर्धारित तिथि को देय होगी

अनुलग्नक B - पुनर्भुगतान अनुसूची

{@Repayment1}

किस्त/ईएमआई की संख्या	ईएमआई	मूल	ब्याज	बकाया मूलधन

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई - 400025
ईमेल: hfquery@motilaloswal.com
www.motilaloswalhf.com
CIN: U65923MH2013PLC248741

अनुलग्नक C

चरणवार वितरण से संबंधित लोन अनुबंध के खंड

1. जहां लोन उधारकर्ता को किश्तों में वितरित किया जाता है और पूर्ण लोन राशि वितरित होने और भुगतान सौंपे जाने तक केवल ब्याज देय होता है, वहां लोनदाता, अपने विवेक पर पहली प्री-ईएमआई के शुरू होने की तारीख से 12 महीने के बाद किसी भी समय सौंपी गई वितरित राशि पर ईएमआई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा और उधारकर्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. अगर खरीदी जा रही संपत्ति निर्माणाधीन है, और इसका पूरा होना और ट्रांसफर पूरी तरह से बिल्डर/डेवलपर पर निर्भर करता है, तो एमओएचएफएल के पास निर्माण की प्रगति, समय-सीमा या गुणवत्ता के लिए कोई नियंत्रण या जिम्मेदारी नहीं होगी। एमओएचएफएल ने उधारकर्ता के अनुरोध के आधार पर लोन स्वीकृत किया है और लोन अनुबंध और निर्माण के चरण के अनुसार सीधे बिल्डर/डेवलपर को लोन राशि वितरित की है।
   बिल्डर/डेवलपर द्वारा निर्माण में कोई भी देरी, अपूर्णता या विफलता एमओएचएफएल के नियंत्रण से बाहर है, और उधारकर्ता सहमत हैं कि एमओएचएफएल ऐसी देरी से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि, क्षति या असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। .
   उधारकर्ता पुष्टि करते हैं कि निर्माण में किसी भी देरी या समस्या के बावजूद, लोन चुकाने और एमओएचएफएल को ईएमआई का समय पर भुगतान करने के उनके दायित्व बनें रहेंगे। उधारकर्ता की ओर से किसी भी चूक को 'चूक की घटना' माना जाएगा और लोन अनुबंध और लागू कानूनों के अनुसार एमओएचएफएल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

3. प्लॉट या प्लॉट + निर्माण ऋण के मामले में, उधारकर्ता सहमत है कि वह प्रथम वितरण (डिस्बर्समेंट) की तिथि से 36 (छत्तीस) महीनों के भीतर खरीदी गई भूमि पर घर का निर्माण पूर्ण करेगा। यदि प्रथम वितरण की तिथि से उक्त 36 (छत्तीस) महीनों की अवधि के भीतर निर्माण पूर्ण नहीं होता है, तो उधारकर्ता मोटीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड को ऋण को लागू ब्याज दरों के अधीन गैर-गृह ऋण (Non-Home Loan) में परिवर्तित करने तथा ऋण राशि को वितरित राशि तक सीमित (डाउनसाइज़) करने और उसी के अनुसार ईएमआई भुगतान प्रारंभ करने हेतु अधिकृत करता है।

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई - 400025
ईमेल: [illegible]
[illegible]
CIN: U65923MH2013PLC248741

अनुलग्नक D

वितरण अनुसूची

क्र. सं	प्रकार	वितरण अनुसूची
1	तैयार संपत्तियों के लिए 100% वितरण, चाहे वह एचएल, एलएपी या एनएचएल हो	100% अग्रिम
2	स्वयं निर्माण, विस्तार और सुधार के मामले में निर्माण से जुड़ा वितरण	a. निर्माण के मामले में लोन वितरण अधिकतम 6 किश्तों में से जुड़ा होगा.
		b. निर्माण की प्रगति के आधार पर, एमओएचएफएल के पूर्ण विवेक पर, निर्धारित चरण से 10% अधिक निर्माण के कारण वितरण तुरंत प्रोसेस किया जा सकता है.
3	प्लॉट खरीद + स्वयं निर्माण मामलों में निर्माण से जुड़ा वितरण	a. प्लॉट की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान
		b. निर्माण के लिए वितरण अधिकतम 6 किस्तों में निर्माण से जुड़ा होगा.
		c. निर्माण की प्रगति के आधार पर, एमओएचएफएल के पूर्ण विवेक पर, निर्धारित चरण से 10% अधिक निर्माण के कारण वितरण तुरंत प्रोसेस किया जा सकता है.
4	निर्माणाधीन बिल्डर संपत्तियों के लिए निर्माण से जुड़ा वितरण	a. लोन आवेदन की स्वीकृति पर बिल्डर की निर्माण लिंक्ड भुगतान योजना के अनुसार या अधिकतम 6 किस्तों में निर्माण लिंक्ड भुगतान किया जाएगा।
		b. निर्माण की प्रगति के आधार पर, एमओएचएफएल के पूर्ण विवेक पर, निर्धारित चरण से 10% अधिक निर्माण के कारण वितरण तुरंत प्रोसेस किया जा सकता है.